राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/शिका)विभाग

क्रमांकःप.8(1)(4)का/क–3/शिका/16 जयपुर,दिनांकः 26/9/16

आदेश

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत ब्यूरो द्वारा शिकायतकर्ता की सूचना पर लोकसेवकों के विरूद्व दर्ज आपराधिक प्रकरणों के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रस्तारित किये जाते हैः–

1. ब्यूरो द्वारा पंजीबद्व प्रकरणों के शिकायतकर्ताओं के लम्बित कार्य, यदि विधिसम्मत हो, के शीघ्र निस्तारण किया जावें।
2. अभियोजन स्वीकृति मनाही/नही देने के निर्णय को मुख्य सतर्कता आयुक्त को भिजवाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र प0 6 (9) कार्मिक/क–3/शिकायत/07पार्ट दिनांक 05.01.12 के अनुसार निर्धारित प्रकिया अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. लोकसेवकों के विरूद्व प्राप्त प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने पर आदेश की मूल प्रति ब्यूरो को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने की प्रकिया की पालना सुनिश्चित करें।
4. आरोपी लोक सेवकों के निलम्बन व निलम्बन से बहाली के उपरान्त मुख्यालय/पदस्थापन घटनाक्रम के स्थान से पर्याप्त दुरस्थ स्थान पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, प्रथम/द्वितीय, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Room No. 1241, Main Building, Govt. Secretariat, Raj., Jaipur-302015
Tel. No. 0141–5153222, Ext.no 21926 Fax No. 0141–2227986
Website:-dop.rajasthan.gov.in, Email- avadhesh.singh-ri@gov.in